# अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2022/223 मायादेवी V/s उदीबाई

| तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए |
|---|---|---|
| पेशी | 2022/392 GA-8<br>श्री शिवप्रकाश चौधरी श्री रजिश अरोड़ा / AT | |
| 14/9/23 | माया देवी बनाम उदी बाई (392/2022)<br>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 07 व राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने दिनांकित प्रार्थना पत्र 05.07.2023 में अंकित कथनों को दौहराते हुए कथन किया कि उक्त प्ररकण में हम पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो जाने से उक्त प्रकरण को आगे नही चलाना चाहते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त प्रकरण विड्रो किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अपीलांटस 01 लगायत 5 स्वयं उपस्थित हुए आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत कर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। राजकीय अभिभाषक ने उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया कि उक्त प्रकरण में राजकीय हित निहित है अतः यदि प्रकरण को विड्रो किये जाने की अनुमति दी जाती है, तो राज्य सरकार जरिये तहसीलदार को पुनः नई अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे।<br>अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया की अपील प्रस्तुतकर्ता को ही अपील को चलाने अथवा विड्रो करने का उत्तरदायित्व है और यदि अपीलांट स्वयं अपनी अपील को आगे नही चलना चाहते है तो अपीलांट की अपील को विड्रो किया जाना न्यायोचित है तथा साथ ही यदि राज्य सरकार का भी हित निहित होने से उन्हे भी नई अपील प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दिया जाना आवश्यक है।<br>अतः अपील को अपीलांटस आगे नही चलाने के कारण विड्रो कर खारिज की जाती है तथा राज्य सरकार को पुनः नई अपील प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।<br>राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर | [illegible signatures] मायादेवी रमेशचन्द |